पंचम माला, खंड 62, अंक 48, गुरुवार, 27 मई, 1976/6 ज्येष्ठ, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXII, No. 48, Thursday, May 27, 1976 Jyaistha 6, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद–विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48 गुरुवार, 27 मई, 1976/6 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

No. 48, *Thursday, May* 27, 1976/*Jyaistha* 6, 1898 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
पण्डित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि	Tribute to Pandit Jawaharlal Nehru	1
सभा पटल पर रखे पत्र	Papers laid on the Table	1—9
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	9-10
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	11
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from the Sittings of the House	11
पत्रकारिता आचार संहिता के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Code of Journalistic Ethics—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	11—14
शर्बती सोनारा गेहूँ के बारे में वक्तव्य—	Statement Re: Sharbati Sonora Wheat	
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	14
श्री शाहनवाज खान	Shri Shahnawaz Khan	15—19
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee	20
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित	Government of Union Territories (Amendment) Bill—Introduced	20
नियम 377 के अधीन मामला	Matters under Rule 377—	
कलकत्ता से टेलीफोन व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने का समाचार	Reported Breack down of Telephone system in Calcutta	20—22
कानपुर की कुछ मिलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Takeover of certain Mills in Kanpur	22—23
श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य की कथित गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा उनके हाथ दुर्व्यवहार	Alleged arrest of Shri Ramavatar Shasrti M.P. and ill-treatment by police	23
बनौरा कोयला खान (आसनसौल) में तीन मजदूरों की कथित मृत्यु	Reported death of three workers in Bhanora Colliery (Asansol)	24
भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Committee on Status of Women in India—	
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	24

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga	25
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	25-26
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	26-27
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	27
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	27-28
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	28-29
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	29-30
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	30
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai	30-31
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	31
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Dass Munsi	31-32
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	Shrimati Premalabai Chavan	32
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	32
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	32-33
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	33-34
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	35
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	35-36
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	36
श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari	36
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	36—38
राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: National Policy for Children—	
श्री डी० पी० यादव	Shri D.P. Yadav	38-39
श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	39-40
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	40-41
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	41—43
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Payment of Bonus to LIC Employees—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	43-44
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	44-45

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 27 मई, 1976/6 ज्येष्ठ, 1898 (शक)

Thursday, May 27, 1976/Jyaistha 6, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

पंडित जवाहरलाल नेहरु को श्रद्धांजलि

TRIBUTES TO PANDIT JAWAHARLAL NEHRU

अध्यक्ष महोदय : आज सभा का कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व हम पण्डित जवाहरलाल नेहरू की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

आज समूचा राष्ट्र इस महान नेता की देश के प्रति प्रशंसनीय सेवाओं का स्मरण करता है। हम लोक सभा में संसदीय लोकतन्त्र के प्रति उनके प्रेम को बड़ी कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। अन्य बातो के साथ उन्होंने समतावादी समाज के दृढ़ आधार वाले संविधान की, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रमुखता दी गई है स्मरणीय प्रस्तावना लिखी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद लगभग दो दशक तक प्रधान मंत्री और सदन के नेता के रूप में उन्होंने संसदीय प्रणाली की सरकार की प्रक्रिया के बारे में हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे देश की शासन-व्यवस्था में इस सदन के कार्यकरणों और अधिकारों की दृढ़ता से रक्षा की। भारत के इस महान सपूत के प्रति हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा हमें शक्ति प्रदान करे जिससे कि हम अपनी बहुमूल्य परम्पराओं को बनाये रखें जिनका निर्माण करने में उन्होंने हमारी अनेक वर्षों तक सहायता की।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974-75 की कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन ।

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं श्री टी० ए० पाई की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल ईन्स्ट्रूमैंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल इन्स्ट्रूमैंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी-10929/76]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली, आवास और नगरीय विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली और हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-10931/76]

(2) (एक) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आवास और नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी-19931/76]

(3) (एक) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी–10932/76]

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी 10933/76]

तमिलनाडु वनस्पति (व्यापार का विनियमन) आदेश, 1976 का संशोधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 28350/ए 1/75/5 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु वनस्पति (व्यापार विनियमन) आदेश, 1974 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी–10934/76]

(2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन–भाग 1 (तकनीकी) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी० 10935/76]

"लेखा परीक्षक नियुक्ति नियमों" में संशोधन करने सम्बन्धी अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब सम्बन्धी विवरण

विधि, न्याय और समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैय्यद मुहम्मद) : मैं तमिलनाडु सरकार की दिनांक 18 फरवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एस० एस० 187 (एस० आर० ओ० ए-77/76) जिसमें "लेखापरीक्षक नियुक्ति नियम" का कतिपय संशोधन दिये हुए हैं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-10936/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकारी विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 169 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 709 जो दिनांक 22 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 710 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 711 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 712 और 713 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 714 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 715 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 693 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी–10937/76]

पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के कार्यहेतु योजना तैयार करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1974–75 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ए० पी० शर्मा : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम हेतु योजना तैयार करने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी–10938/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति —

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियां :

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी 10939/76]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मई, 1975 को समाप्त हुए वर्ष की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

श्री शाह नवाज खां : श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय बीज लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मई, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री शाह नवाज खां]

(2) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 मई, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

]०टी०—10940/76]

इस्पात उद्योग पर श्वेत पत्र

स्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): मैं इस्पात उद्योग पर श्वेतपत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—10941/76]

पारपत्र अधिनियम, 1967 तथा हज समिति (संशोधन) नियम 1974 के अधीन अधिसूचनायें तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिन पाल दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पारपत्र (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 22 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 247(ड) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र ।

(दो) सा० सां० नि० 293 (ड) जो दिनांक 14 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 10942/776]

(2) (एक) हज समिति अधिनियम, 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत हज समिति संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना] संख्या सां० आ० 4407 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०—10943/76]

गुजरात राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन

कर नियम, 1976 तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम, 1976 की धारा 27 के अन्तर्गत गुजरात राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 27 अप्रैल, 1966 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या (जी एच एन 27) पी एफ टी 1176 (एफ० 27) (1) टी एक्स में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—10944/76]

रेल (भाण्डागारण तथा स्थान शुल्क) संशोधन नियम, 1976
तथा विलम्ब सम्बन्धी विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेल (भाण्डागारण तथा स्थान-शुल्क) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1191 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) रेल (भाण्डागारण तथा स्थान-शुल्क) (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1400 में प्रकाशित हुए थे ।

[श्री मोहम्मद शफी कुरशी]

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—10945/76]

तमिलनाडु मोटर यान अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु मोटर यान कराधान अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० ओ० आर० संख्या 3627 जो दिनाक 26 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० ओ० एम० एस० संख्या 2138 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—10946/76]

बन्धित श्रमपद्धति (उत्पादन) नियम, 1976 कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा परीक्षा प्रतिवेदन और विलम्ब सम्बन्धी विवरण

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) विधेयक, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) नियम, 1976 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 534 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—10947/76]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 707 में प्रकाशित हुई थी।

(3) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1969-70 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—10948/76]

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रमाणित लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के स्थापना-पत्र तथा नियमों के नियम 45 के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के स्थापना-पत्र तथा नियमों के नियम 44 (घ) के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—10949/76]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(1) कि राज्य सभा 25 मई, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मई, 1976 को पास किये गये चाय (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

[महासचिव]

(दो) कि राज्य सभा 25 मई, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 मई, 1976 को पास किये गये राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 20 मई, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा की लोक लेखा समिति में 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यालय के लिए सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्रीमती सुशीला शंकर अदिवरेकर

(2) श्री सरदार अमजद अली

(3) श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब

(4) श्री एच० एस० नरसिंहा

(5) श्री इन्द्रदीप सिन्हा

(6) श्री ओम प्रकाश त्यागी

(7) श्री जावर हुसैन

(चार) कि राज्य सभा 20 मई, 1976 को अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में 1 मई, 1976 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) श्री श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी

(2) श्री जगबीर सिंह

(3) श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी

(4) श्री गणेश लाल माली

(5) श्री बेजवाड़ा पापीरेड्डी

(6) श्री के० एल० एन० प्रसाद

(7) श्री सुलतान सिंह

———

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : महोदय मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1976

(2) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1976

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने प्रतिवेदन में दिखाई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

(1) श्री के० गोपाल

(2) श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(3) श्री नूरुल हुडा

(4) श्री के० गोपालन

(5) श्रीमती वी० आर० सिंधिया

(6) श्री एम० आर० कृष्णन्

(7) श्री पीलू मोदी

(8) श्री टी० एस० लक्ष्मणन

(9) श्री जे० रामेश्वरराव

क्या सभा को अनुमति प्राप्त है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

पत्रकारिता आचरण संहिता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: CODE OF JOURNALISTIC ETHICS

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): भारतीय प्रैस और भारतीय पत्रकारिता में उचित स्तरों के बनाये रखने के लिए अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ने पत्रकारिता संबंधी आचरण संहिता को अंतिम रूप दे दिया है । इससे पहले पिछले

[श्रीविद्या चरण शुक्ल]

कुछ महीनों में कई बैठकें और अध्ययन किए गए हैं। सम्पादकों की केन्द्रीय समिति ने, जिस में देश के प्रमुख सम्पादक शामिल हैं, संहिता का प्रारूप तैयार किया जो अन्ततः अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के ध्यान में लाया गया। अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ने अब संहिता को अंतिम रूप दे दिया है और उसके बाद उसको सरकार के पास भेज दिया है।

इस संहिता में पत्रकारिता संबंधी आचरण को विनियमित करने वाले नियम हैं जिनसे समाचार-पत्र और पत्रकार अपने उच्च सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को निभा सकेंगे। सर्वसम्मति से तैयार की गई संहिता की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है।

यह जाहिर होगा कि यह संहिता व्यापक और निरापवादिक है। इस संहिता में आधारभूत मानव और सामाजिक अधिकारों को अत्यन्त महत्व दिया गया है, तथा इस प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय एकता व सामाजिक प्रगति को बढ़ाने वाली गतिविधियां चाहे वे जनता की हों अथवा राज्य की, को प्रोत्साहन देने का दायित्व पत्रकारों और समाचारपत्रों पर डाला गया है। इस संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी रिपोर्टों को जिनसे विभिन्न समुदायों या समूहों में घृणा पैदा हो या जिनसे तनाव पैदा होता हो या हिंसा को बल मिलता हो, प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। गलत रिपोर्टों का संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस संहिता में यह व्यवस्था है कि पत्रकारिता संबंधी सभी गतिविधियां लोक सेवा के उच्च स्तरों द्वारा विनियमित हों :

सम्पादकों की केन्द्रीय समिति ने 30 अप्रैल और 1 मई को कलकत्ता में हुई अपनी पिछली बैठक में, यह सिफारिश की है कि इस संहित को कानूनी मान्यता दी जाय। अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा तैयार की गई संहिता से सरकार सहमत है। इस बारे में कानून बनाने की आवश्यकता का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

पत्रकारिता सम्बन्धी आचरण संहिता

क्योंकि प्रेस लोकतांत्रिक ढांचे का आवश्यक अंग, संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम और जनमत बनाने का साधन है, अतः पत्रकारों को अपने व्यवसाय को जनहित के एक ट्रस्ट के रूप में लेना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेस को घटनाओं का सार्थक, सही, व्यापक और विश्वसनीय ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए। वह समाज के जो वर्ग हैं उनका प्रतिनिधायी चित्र उपस्थित करें; अपना टिप्पणी और आलोचना के मंच के रूप में उपयोग करें और समाज के लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करते हुए अपना दायित्व निभायें।

हमारे लक्ष्य संविधान की प्रस्तावना में दिये गये हैं जिसमें समस्त नागरिकों के लिए 'सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की

स्वतन्त्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए; तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने, के लिए जनता के संकल्प का समावेश है। इस प्रस्तावना की पुष्टि राज्य के नीति के निदेशक तत्वों द्वारा की गई है जिनमें कहा गया है कि "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा"।

इस सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेस के नैतिक आचरण में समाज के मूल्य प्रतिबिम्बित हों; यही बात टिप्पणियों पर भी लागू होती है। इस सामाजिक दायित्व और ट्रस्ट के अनुसरण में निम्नलिखित आचरण संहिता लागू होगी :—

(1) अपने कर्त्तव्यों के पालन में, पत्रकार आधारभूत मानव और सामाजिक अधिकारों को सर्वाधिक महत्व देंगे और समाचार और आलोचना में सदभाव और निष्पक्ष व्यवहार को व्यावसायिक उत्तरदायित्व के एक अंग के रूप में स्वीकार करेंगे।

(2) पत्रकार और समाचार-पत्र राज्य और जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिनसे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता, भारत की अखंडता तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बल मिलता है।

(3) पत्रकार और समाचार-पत्र उन समाचारों और टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तनावों को बल मिलता है जिनसे नागरिक उथल-पुथल, विद्रोह और बगावत की सम्भावना हो। हिंसा की खुले शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए।

(4) पत्रकार और समाचार-पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचार तथ्यात्मक हों। किसी भी तथ्य को तोड़ा-मरोड़ा नहीं जायेगा। न ही ऐसे समाचारों को प्रकाशित किया जायेगा जो असत्य हों या अविश्वासनीय हों।

(5) ऐसी काल्पनिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होंगी जो उत्तेजनात्मक हों या जिनसे अर्थ का अनर्थ होता हो। गलत पाए जाने वाली रिपोर्ट या टिप्पणी का संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जायेगा।

(6) विश्वास का सदा आदर किया जाएगा। व्यावसायिक गोपनीयता की रक्षा की जाएगी।

(7) गैर-पत्रकारिता उद्देश्यों या गैर पत्रकारिता उद्देश्यो के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए पत्रकार अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे और न ही उनका व्यक्तिगत स्वार्थ उनके व्यवसायिक आचरण को प्रभावित करेगा।

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

(8) पत्रकारों के लिए किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशित करने या न करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन या घूस लेने या इसकी मांग करने से बढ़कर और कोई बुरी चीज नहीं होगी।

(9) पत्रकार और समाचार-पत्र लोक-हित के अतिरिक्त, किसी भी वाद-विवाद में नहीं पड़ेंगे।

(10) पत्रकार और समाचार-पत्र अफवाह या गप्प या व्यक्तियों के जीवन से संबंधित संदिग्ध समाचारों का प्रकाशन नहीं करेंगे।

(11) समाचार-पत्र ऐसी सामग्री (विज्ञापन सहित) नहीं प्रकाशित करेंगे, जो अश्लील हो या जिनसे दुष्कर्म, अपराध या गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो।

(12) पत्रकार और समाचार-पत्र लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे और उनको प्रतिबिम्बित करेंगे।

(13) पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसे दंगों के समाचार का विकृत विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो किसी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय या भाषायी गुट से संबंधित हो तथा अधिकारिक पुष्टि के बगैर सम्मिलित गुटों की संख्या या पहचान का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करेंगे।

(14) पत्रकार और समाचार-पत्र ऐसी सूचना या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, देश की सुरक्षा या विदेशों से हमारे मैत्री संबंधों को आघात पहुंचता हो।

शरबती सोनोरा गेहूं के बारे में वक्तव्य

STATEMENTS *RE* SHARBATI SONORA WHEAT

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : On 4-5-1976 Shri D. N. Tiwary levelled some charges against the Director General of the ICAR and said that the present Director General published wrong data to prove that the lysine content in Sharbati Sonora variety of wheat developed by him is equal to milk. Shri Tiwary has quoted from the report of Gajendragadkar Committee to prove that the claim that Sharbati Sonora has high lysine content is wrong.

While replying to these charges Shri Shahnawaz Khan said that the Committee appointed by the Government has after examining the relevant papers come to the conclusion that Sharbati Sonora seems to be cheap superior to Sonora 64 and Kalyan Sona in respect of protein content. This is a very strange reply. The contention of Shri Tiwary is that the claim of the Director General that Sharbati Sonora has lysine content equal to milk is wrong. To this Shri Shahnawaz Khan did not reply but asserted that Sharbati Sonora is superior in respect of protein content. Thus the Minister has hidden the fact in respect of Sharbati Sonora and has mislead the House.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की बजट संबंधी मांगों पर बहस के समय मेरे हस्तक्षेप करने के दौरान जो थोड़ा सा समय मुझे मिला था, उसमें मुझे उन बहुत से विषयों पर विस्तार से चर्चा करनी थी जिनका संबंध मंत्रालय में मुझसे है। अतः मुझे खेद है कि उस समय उन पर विस्तार से चर्चा न कर सका। इसके अतिरिक्त, गेहूं की शरबती सोनोरा किस्म के लाइसिन तत्व विशेष विषय पर इस सदन में एक बार से अधिक बहस की जा चुकी है। 12 नवम्बर, 1973 को कृषि राज्य मंत्री द्वारा सदन के पटल पर एक विस्तृत वक्तव्य भी पेश किया गया था। फिर भी चूंकि मुझ पर सदन को भ्रम में डालने का अभियोग लगाया गया है, मैं फिर उन तथ्यों को संक्षेप में पेश करना चाहूंगा जो कि पहले अवसरों पर भी, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति, जिसके अध्यक्ष डा० पी० बी० गजेन्द्र गडकर थे, की सिफ़ारिशों पर नवम्बर, 1973 में विस्तृत बहस के दौरान पेश किए जा चुके हैं।

1962–63 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, गेहूं की ऐसी बौनी किस्मों के प्रजनन का सघन कार्यक्रम चलाया था, जो कि अधिक उपज देने के लिए पानी तथा उर्वरक की दी गयी मात्रा का कारगर ढंग से उपयोग कर सकें। यह काम मैक्सिको के डा० एन० ई० बोर्लोग द्वारा आरम्भिक रूप से दी गयी बौने गेहूं की सामग्री से आरम्भ किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा देश के अन्य अनुसंधान केन्द्रों में नीचे बताई गई चार पद्धतियों को सीधे अपनाकर काम शुरू किया गया :—

(क) अपने देश की परिस्थितियों के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ मेक्सिकन बौने गेहूं का परीक्षण किया जाये और जो गेहूं अच्छी उपज दें, उन्हें चुना जाये।

इसके फलस्वरूप लर्मा रोझो–64–ए और सोनोरा–64 किस्में विकसित की गईं, जो कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रमों में आरम्भिक सामग्री का आधार बनीं।

(ख) मैक्सिको की जातियों से प्राप्त अग्रिम सन्तति सामग्री का चयन किया जाये ताकि उनमें अच्छी उपज की क्षमता, रतुआ रोधिता तथा दानों के वांछित गुण मौजूद हों।

इसके फलस्वरूप पी०वी०–18, कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा तथा सफ़ेद लर्मा किस्में विकसित की गयीं।

(ग) लरमा रोझो 64–ए तथा सोनोरा 64 में, उत्परिवर्ती प्रजनन द्वारा, दानों के रंग की कमी को दूर किया गया।

यह इसलिए आवश्यक था कि इन दोनों किस्मों के दानों का रंग लाल था, जिसका उस समय बाजार में शर्बती दानों की तुलना में बहुत कम दाम मिलता था। इसके फलस्वरूप पूसा लरमा तथा शर्बती सोनोरा किस्मों का प्रजनन किया गया।

(घ) हमारी अपनी किस्मों का मैक्सिको की किस्मों से संकरण करके नयी संकर किस्में तैयार की जायें।

[श्री शाह नवाज खां

इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप विभिन्न केन्द्रों में कई नयी किस्मों का विकास हुआ। देश के अलग-अलग भागों में गेहूं की लगभग 30 बौनी किस्मों का विकास हुआ।

इस सुनियोजित और गतिशील दृष्टिकोण के फलस्वरूप अलग-अलग कृषि जन्य परिस्थितियों और उपभोक्ताओं की पसन्द की स्थितियों में विभिन्न किस्मों का तेजी से चयन सम्भव हुआ जिसका गेहूं उत्पादन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। यह माननीय सदस्यों को भी विदित ही है।

1967 में जब भारत सरकार की केन्द्रीय वेरायटी रिलीज कमेटी द्वारा शर्बती सोनोरा किस्म की खेती के लिए रिलीज करने के कारणों और तथ्यात्मक स्थिति को मैं यहां बताता हूं।

(क) "इस नयी किस्म शर्बती सोनोरा–64 के दाने वांछित शर्बती रंग के होते हैं, जबकि सोनोरा–64 के दाने लाल रंग के होते हैं। इस तरह यह किसान और उपभोक्ता दोनों ही के द्वारा पसन्द की जाएगी। आज तक भी किसी ने इस वक्तव्य के सही होने में संदेह प्रकट नहीं किया है"।

(ख) "जहां तक अवधि और उपज-क्षमता का प्रश्न है उत्परिवर्ती किस्म, सोनोरा-64 से किसी भी तरह कम नहीं है"।

कई वर्षों में विभिन्न स्थानों में किये गये अखिल भारतीय समन्वित परीक्षणों से बड़े पैमाने पर मिले आंकड़ों और किसानों के अनुभव ने केन्द्रीय वेरायटी रिलीज कमेटी के कथन की पुष्टि की। इसके साथ ही शर्बती सोनोरा की उपज-क्षमता के बारे में मेक्सिको में किया गया अनुभव भी यही रहा।

(ग) "शर्बती सोनोरा–64 में अपनी जनक प्रजाति सोनोरा–64 की अपेक्षा अधिक प्रोटीन तत्व पाये गये"।

भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् मे नियुक्ति व अन्य कार्यविधि की जांच के बारे में जो जांच नियुक्त किया था, उसने भी इस समस्या पर सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और वह निम्न निष्कर्ष पर पहुंचा।

"यह स्पष्ट है कि अन्य खाद्यानों की तरह गेंहूं के प्रोटीन तत्व में काफी विविधता पायी जाती है। यह बहुत कुछ मिट्टी-जलवायवीय स्थिति और प्रयुक्त उर्वरकों पर निर्भर करता हैं। प्रकाशित परिणामों से इस विविधता का पता चलता है। पर इस विविधता के बावजूद जहां तक प्रोटीन तत्व का प्रश्न है, शर्बती सोनोरा, सनोरो–64 और कल्याण सोना से स्पष्टतया श्रेष्ठ सिद्ध हुई"।

इस प्रकार उन क्षेत्रों में, जहां पहले सोनोरा–64 उपयुक्त पाया गया था, केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा बावाई के लिए रिलीज किया गया शर्बती सोनोरा हर तरह से आशानुकूल सिद्ध हुआ।

श्रीमन्, अब, मैं दो विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा यानी सोनोरा-64 और शर्बती सोनोरा में मौजूद लाइसिन तत्व की तुलना और शर्बती सोनोरा तथा दूध में मौजूद लाइसिन तत्व की तुलना। इससे पहले, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनाज प्रोटीनों में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें

से आठ अमीनों अम्ल मानव शरीर के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। इन आठ अमीनों आम्लों को मानव शरीर में, अन्य अमीनों अम्लों से अन्तः परिवर्तन-क्रिया द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इनको भोजन द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाना होता है। इन आवश्यक आठ अमीनों अम्लों में से लाइसिन एक है और सामान्यतः सभी अनाजों में इसकी कमी होती है। सन् 1964 में अमरीका की परड्यू युनिवर्सिटी में यह खोज की गयी थी कि मक्के की "ओपेक-2" किस्म में लाइसिन तत्व की मात्रा प्रति 100 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम के लगभग होती है। आहार संबंधी परीक्षणों में मक्के की इस किस्म में प्रोटीन ऐफीसिएन्सी अनुपात (पी० ई० आर०), मखनिया दूध के बराबर पाया गया था। इस खोज ने संसार के सभी पौध प्रजनकों को, प्रजनन के कार्य में उपज-क्षमता का त्याग किये बगैर, उसके गुणों की वृद्धि करने की ओर प्रेरित किया।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विगत कोई 20 सालों से हमारी गेहूं की किस्मों के चपाती और डबलरोटी बनाने संबंधी गुणों और पोषकमान में सुधार के लिए कार्य कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान की गेहूं क्वालिटी प्रयोगशाला उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक डा० ए० ऑस्टिन की देख-रेख में काम करती रही है। क्वालिटी प्रयोगशाला ने सन् 1967 म, राकफैलर फाउण्डेशन के अनुदान से एक अमीनों अम्ल विश्लेषक प्राप्त किया था इसके बाद इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने आवश्यक अमीनों अम्लों, विशेषकर लाइसिन की मात्रा के बारे में जानने के लिए गेहूं और अन्य अनाजो का विशेलेषण का कार्य शुरु किया। सन् 1967 में शर्बती सोनोरा किस्म के रिलीज किये जाने के बाद, सोनोरा-64, कल्याण सोना, लर्मारोओ और अन्य किस्मों के साथ, इस किस्म की भी, उसमें निहित लाइसिन तत्व के लिए जांच की गयी। लाइसिन तत्व के आरम्भिक निर्धारण से पता चला है कि प्रति 100 ग्राम प्रोटीन में 4.61 ग्राम लाइसिन होता है। पर, इसके बाद यह लाइसिन मान नहीं पाया जा सका और प्रत्येक बार गेहूं की फसल करने पर बड़ी संख्या म दाने के नमूनों का विश्लेषण किया गया और उनके लाइसिन मान में विविधता पायी गयी। पर सामान्यतः सोनोरा-64 और शर्बती सोनोरा दोनों में 100 ग्राम प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा 3 ग्राम से अधिक नहीं पायी गयी। अतः पहले रिकार्ड किया 4.61 मान विश्लेषण संबंधी गलती का ही परिणाम प्रतीत होता है। "साइंस एण्ड कल्चर" नामक हमारी एक प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका में सम्बद्ध वैज्ञानिक द्वारा उस गलती के संभव कारण की व्याख्या की जा चुकी है। केवल इस अकेली गलती के अलावा सभी लाइसिन मान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किये थे 3.17 से कम हैं, जैसा कि एक नमूने में जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति ने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में विश्लेषण कराकर प्राप्त किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति के निष्कर्ष भी वही हैं, जो कि 1971 में गुण सुधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एक विस्तृत शोध ग्रंथ में दिये गये थे।

[श्री शाह नवाज खाँ]

नमूनों में त्रिविधता के कारण आपस में तुलना करना कठिन है। अतः यह उल्लेखनीय है कि जब आटे के संबंध म लाइसिन तत्व की बात कही जाती है (यह नापने की वह इकाई है, जो कि उपभोक्ता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है), शर्बती सोनोरा उत्तम जान पड़ती है जैसा कि निम्नलिखित दो स्वतंत्र अध्ययनों के आंकड़ों से पता चलता है :—

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्वालिटी प्रयोगशाला से प्राप्त आँकड़े

किस्म	प्रोटीन %	ग्राम लाइसिन प्रति 100 ग्राम आटा	ग्राम लाइसिन प्रति 100 ग्राम प्रोटीन
सोनोरा–64	13.0	0.286	2.26
शर्बती सोनोरा	16.2	0.480	2.96

परड्यू विश्वविद्यालय की क्वालिटी प्रयोगशाला से प्राप्त आंकड़े

किस्म	ग्रा० लाइ० प्रति 100 ग्राम आटा	प्रोटीन %	लाइसिन प्रतिशत	औसत
सोनोरा–64	0.309	12.25	2.38 2.21 2.83 2.66	2.5
शर्बती सोनोरा	0.434	16.19	2.65 2.74 2.57 2.75	2.7

यह सत्य है कि दूसरे देशो में भी गेहूं के नमूनों में पाये गये प्रोटीन और लाइसिन तत्वों में बहुत अधिक विविधता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के इस क्षेत्र में विश्व के प्रमुख अधिकारी विद्वान प्रोफ़ेसर बी० ओ० एगम, डेनमार्क द्वारा शर्बती सोनोरा में प्रोटीन की बहुत अच्छी क्वालिटी बतायी गई। प्रोफ़ेसर एगम ने शर्बती सोनोरा में प्रोटीन का

जैवी मान 60.5 बताया, जबकि सोनोरा 64 में यह 52.0 पाया गया। शर्बती सोनोरा के दानों के नमूनों का अन्य प्रयोगशालाओं में विश्लेषण नहीं किया गया, इस वक्तव्य का हैदराबाद की राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने खण्डन किया है जैसा कि लोक सभा में 12 नवम्बर, 1973 के वक्तव्य में भी बताया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की चांय समिति ने भी तीन विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रोटीन और लाइसिन तत्व के विश्लेषण कराये। हाल के वर्षों में इस पर बहुत अधिक काम नहीं हुआ है। चूंकि इस किस्म की जगह अब पिछेती बुआई वाली कुछ सुधरी किस्में बोयी जाने लगी हैं।

जहां तक गेहूं के लाइसिन तत्व और दूध के लाइसिन तत्व की तुलना का प्रश्न है, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस प्रकार की तुलना किसी भी वैज्ञानिक अथवा अन्य लेखो में नहीं की गई। चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति ने इस विषय से सम्बन्धित किसी भी लेख का हवाला नहीं दिया है, यह अनुमान किया जाता है कि यहप्र संग उस समाचार पत्र की संक्षिप्त रिपोर्ट से सम्बन्धित है जिसमें लगभग 8 वर्ष पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तत्कालीन निदेशक द्वारा बिना पहले तैयार किये हुए अपने एक भाषण का हवाला दिया गया था। चूंकि उस समय पूर्व अनुमान पर आधारित, लाइसिन मान प्रति 100 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम आंका गया, और चूंकि यह मान उतना ही था जितना कि "ओपेक-2" मक्का में पाया गया था, जिसमें कि उतना ही प्रोटीन ऐफ़िसिऐन्सी अनुपात (पी० ई० आर०) पाया गया जितना कि दूध के प्रोटीन में था, निदेशक ने शर्बती सोनोरा का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि यह सम्भव है कि आनुशंशिक प्रक्रियाओं द्वारा गेहूं में भी वैसे ही गुण सुधार लाये जा सकते हैं जैसे कि मक्का में। फिर भी, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, बाद में इसमें अकेला उच्च मान नहीं बताया गया और किसी वैज्ञानिक अथवा दूसरे लेख में गेहूं तथा दूध के प्रोटीन तत्वों के बीच तुलना नहीं की गई।

श्रीमन मैंने सभी संबन्धित सूचना आपके सामने रख दी है। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो इतने अधिक तथा ठीक आंकड़े एकत्रित किये हैं, जिनके आधार पर हमने पांच सालों में ही गेहूं के उत्पादन को दुगना कर लिया है। उन सफलताओं को नजरअंदाज न करते हुए केवल एक किस्म विशेष के एक अमिनों अम्ल सम्बन्धी रासायनिक विश्लेषण में पाई गई गलती के आधार पर उनके काम की अलोचना नहीं की जानी चाहिए।

यदि माननीय सदस्य इस विषय में किसी भी बात पर और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहें तो उनके लिखने पर मुझे सूचना देकर मुझे खुशी होगी। मैं एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रतिष्ठित सदन को किसी भी तरह गुमराह करने का मेरा कभी इरादा नहीं रहा। यदि कोई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न पर मैंने पूरे विस्तार से सूचना नहीं दी तो मैं कह सकता हूं कि समय के अभाव के कारण मैं अधिक विस्तृत रूप में सूचना नहीं दे सका।

संविधान (बत्तीसवाँ) संशोधन विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND) AMENDMENT BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : में विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था के अस्तव्यस्त हो जाने का समाचार

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : कलकत्ता में कई सप्ताह से हजारों टेलीफ़ोन कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे ग्राहकों को अत्याधिक असुविधा और कठिनाई हो रही है । लगता है

कि टेलीफ़ोन व्यवस्था के अस्तवस्त होने के कारणों के बारे में विवाद चल रहा है । कलकत्ता के टेलीफ़ोन अधिकारियों का मत है कि फ़ालतू पूर्जों और उपकरणों के अभाव के कारण तथा कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की गैर-जिम्मेदाराना गतिविधियों के कारण टेलीफ़ोन अधिकारी उपयुक्त सेवा नहीं कर पा रहे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति में कोई तुरन्त सुधार होने की सम्भावना नहीं है ।

कलकत्ता टेलीफ़ोन व्यवस्था के अतिरिक्त महाप्रबन्धक, श्री अर्जुन बनर्जी के अनुसार वर्तमान परिस्थिति का एक कारण यह हैं कि टेलीफ़ोन अधिकारियों के पास उपकरण और फ़ालतू पुर्जे नहीं हैं । यदि फ़ालतू पुर्जे दिये जाते हैं तो समय पर नहीं मिलते हैं ।

दूसरा कारण यह है कि टेलीफ़ोन की लाइनें, जो 40–50 वर्ष पहले डाली गई थीं, गल गई हैं और उन्हें अभी तक बदला नहीं गया है । आज कल आपात स्थिति के कारण श्रेय प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ नये टेलीफ़ोन कनैक्शन दिये जा रहे हैं। लेकिन लाइनों की मरम्मत करने, पुराने पुर्जे बदलने और इनका ठीक रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है ।

यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को कोई रूचि नहीं है, कोई इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करना चाहता है । अतः संचार मंत्री सभा को बतायें और हमें आशवासन दें कि इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ कार्यवाही की जायेगी ।

संचार मंत्री (श्री शंकर दयाल शर्मा) : गत अनेक वर्षों से कलकत्ता में अत्यन्त सराहनीय विकास कार्य हो रहा है । कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम कलकत्ता निगम आदि जैसी सड़कों और पटरियों को खोदा जाता है । इनसे टेलीफ़ोन के केबलों को क्षति पहुंचती है । इस क्षति की गम्भीरता का उस समय पता चला जब कलकत्ता में अप्रैल के आरम्भ में भारी वर्षा हुई, शहर के विभिन्न भागो में बहुत से तार टूट गये जिसके कारण 8 प्रतिशत टेलीफ़ोनों पर प्रभाव पड़ा । ज्योंही टेलीफ़ोन विभाग को खराबी का पता चला उन्होंने उसकी मरम्मत के लिए तुरन्त कार्यवाही की । कलकत्ता टेलीफ़ोन विभाग ने खराब लाइनों को शीघ्र चालू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ।

कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि कलकत्ता महानगर प्राधिकरण और कलकत्ता टेलीफ़ोन विभाग के बीच कुछ विवाद हैं । तथापि महाप्रबन्धक टेलीफ़ोन कलकत्ता से पूछे जाने पर यह कथन सही नहीं पाया गाया । महाप्रबन्धक पश्चिम बंगाल के लोक निर्माण और आवास विभाग के मंत्री को, जो कलकत्ता महानगर प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, पहले ही स्थिति स्पष्ट करते हुए लिख चुके हैं कि ऐसा कोई वक्तव्य मैंने नहीं दिया ।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कलकत्ता में विभिन्न भूमिगत कार्यों में लगी ऐजेंसियों की गतिविधियों में तालमेल रखने को कहा गया है । यह माना गया है कि इस विभाग की लाभकारी गतिविधियों के कारण ही टेलीफ़ोन के तारों को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अन्यथा होता ।

[श्री शंकर दयाल शर्मा]

जहां तक कलकता में टेलीफ़ोन केन्द्रों के लिए फालतू पुर्जों की समस्या का सम्बन्ध है, हाल ही में सप्लाई स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तथापि अब भी कुछ पुर्जों की सप्लाई सन्तोषजनक नहीं है इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और आशा है कि चालू वर्ष के दौरान इन पुर्जों की सप्लाई में और सुधार होगा।

भूमिगत तारों की देखभाल सहित टेलीफ़ोन प्रणाली के कार्य की देखभाल के लिए कलकता में एक अतिरिक्त महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है। कलकता टेलीफ़ोन डिस्ट्रिक्ट को 6 क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र सीधे एक क्षेत्रीय प्रबन्धक के अधीन होगा। इन क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालय सम्बन्धित क्षेत्र में होंगे, जिससे वे निकट से और अच्छी तरह निगरानी कर सकें।

बिजली बन्द होने की स्थिति पैदा होने से पूर्व ही केबलों में आई खराबी का पता लगाने के लिये बड़े-बड़े टेलीफ़ोन जालों के रखरखाव सम्बन्धी नीति के रूप में भूमिगत केबलों की गस प्रैसराइजेशन तकनीक को अपनाया गया है। आशा है मार्च, 1977 तक व्यस्त लाइनों के जंक्शन केबल इस तकनीक के अन्तर्गत आ जायेंगे। कलकता की लाइन के जंक्शन केबल की इस तकनीक के अन्तर्गत आ जायेंगे। बाद में अन्य केबल भी इस तकनीक के अन्तर्गत ले लिये जायेंगे। भूमिगत केबलों के लिए केबिनेट और स्तम्भों की व्यवस्था करने के लिये कार्यक्रम बना लिया गया है और काम चल रहा है।

(दो) कानपुर की कुछ मिलों का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, एथरटन वेस्ट मिल्स और कानपुर जूट उद्योग जिनमें 11,500 कर्मचारी काम करते हैं पिछले एक साल से बन्द पड़े हैं। कर्मचारी भूखे मर रहे हैं और स्वयं को केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्री तथा उतर प्रदेश के श्रम मंत्री के आश्वासनों पर जीवित रखे हैं। केन्द्र और उतर प्रदेश के राज्य सरकार ने इन मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत लेने का निर्णय किया है। वाणिज्य मन्त्री ने हमें आश्वासन दिया है कि संकटग्रस्त मिल राष्ट्रीयकरण अधिनियम के संलग्न अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा जिससे कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स और एथरटन वेस्ट मिल्स को इसमें शामिल किया जा सके। हमें आशा थी कि यह विधेयक इस सत्र में पास हो जायेगा परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका।

अब इन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भुखमरी से तभी बचाया जा सकता है जब कि इस सत्र के बाद एक अध्यादेश जारी किया जाये। क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वाणिज्य, उद्योग, श्रम और विधि मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री भी अध्यादेश जारी करने में देर न करें जिससे कि इन हजारों कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों की कठिनाइयों का अन्त हो।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): हम पहले ही कह चुके हैं कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स और एथरटन वेस्ट मिल्स को हमारा यथासम्भव शीघ्र चालू करने का प्रस्ताव है। हमने आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। परन्तु हम इसे पूरा नहीं कर सके हैं। ज्यों ही वह पूरी हो जायेगी हम अध्यादेश जारी कर देंगे या सदन में एक उपयुक्त कानून पेश करेंगे।

जहां तक कानपुर जूट उद्योग मिल्स का सम्बन्ध है उसके मालिक ने मुझे आश्वासन दिया है कि जून, 1976 तक वह चालू हो जायेगा । मैं इन तीनों मिलों को चालू करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

(तीन) श्री रामावतार शास्त्री, संसद् सदस्य की कथित गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The Eastern Railway Workers' Union of which I am the President and Shri Ram Balak Singh is the General Secretary has in order to seek workers' cooperation for the Prime Minister's 20-point programme decided to hold a public meeting in Jhajha in Monghyr district on March 20 1976. When I and Shri Ram Balak Singh reached the meeting place at the appointed time we found Police Inspector Incharge of Jhajha Police Station removing the mike. When we asked the Inspector whether there was any ban on holding the meeting he did not give any reply. However we started the meeting without the mike and after Shri Ram Balak Singh had given his speech I started speaking. Just then the Police Inspector reappeared on the scene with about a dozen armed constables. They scared away the railway workers who had gathered there. We wound up the meeting and left the place. When we had walked some distance we were told that we were under arrest. We were asked to have some rest in the railway officers' rest house which was on the way to the police station. I wanted to take my brief case which was there in the rest house. But the Police Inspector prevented from doing so and started manhandling me as a result of which I sustained a minor injury.

The way in which I was arrested manhandled and illegally detained in Jamui sub-jail for six days was against the dignity of this House.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुंगेर जिले के झाझा स्थान पर 20–3–1976 को पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ ने उस क्षेत्र में लगी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करके एक सभा की । झाझा पुलिस थाने के इंचार्ज ने श्री राम बालक सिंह को पहले ही यह परामर्श दिया था कि पूर्व अनुमति लिये बिना वे कोई सभा आयोजित न करें तथा उन्होंने उन्हें इस आशय की सूचना भी दे दी थी ।

तथापि बिना अनुमति लिये सार्वजनिक सभा शुरू हुई । श्री रामावतार शास्त्री और श्री राम बालक सिंह ने, जो उस सभा में भाग ले रहे थे अधिकारियों द्वारा सभा स्थल पर सभा को समाप्त करने का परामर्श देने पर भी उन्हें समाप्त नहीं किया । तब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और थाने ले जाया गया । झाझा पुलिस थाने में भारत रक्षा नियम के नियम 69(4) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया । श्री शास्त्री को 25–3–1976 को जेल से छोड़ा गया ।

राज्य सरकार ने श्री रामावतार शास्त्री के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की जांच करने के लिये जिलाधीश मुंगेर को जांच करने की आज्ञा दी है । जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा है ।

(चार) बनौरा कोयला खान (आसनसोल) में तीन मजदूरों की कथित मृत्यु

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : आसनसोल से 12 मील दूर बनौरा कोयला खान में 21 मई, 1976 को खान की छत के गिर जाने से 3 कर्मचारी मारे गये। कमचारियों की ओर से लगातार मांग किये जाने पर भी ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण और आपात स्थिति के बाद से कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या अत्यधिक बढ गई है। सरकार इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे और आपात स्थिति के बाद कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करे। दुर्घटना के शिकार हुए कर्मचारियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मध्याह्न पश्चात् 6 बजे दिया जायेगा।

भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION RE: REPORT OF COMMITTEE ON STATUS OF WOMEN IN INDIA—*contd.*

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : देश की 18 करोड़ श्रमिक जनसंख्या में से 15 करोड़ पुरुष हैं तथा 3 करोड़ महिलाएं हैं जिनमें से 50 प्रतिशत कृषि मजदूरों के रूप में काम करती हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि उन्हें पुरुष मजदूरों से कम वेतन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में हमें कुछ न कुछ करना होगा, जिससे कि समान काम के लिये समान मजदूरी दी जा सके।

यह बड़े ही खेद का विषय है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे इंडियन एयर लाइन्स में भी पुरुष और महिला कमचारियों की सेवा की शर्तें समान नहीं हैं जबकि विमान परिचारिकाएं 35 वर्ष की आयु में या ज्यों ही वे विवाह करती हैं, सेवा निवृत्त कर दी जाती हैं जबकि पुरुष परिचारक के साथ यह नियम लाग नहीं होता। हम इस भयानक असमानता को किस प्रकार दूर कर पायेंगे? इसमें सरकार की क्या भूमिका होगी? यदि सरकारी उपक्रमों में हम समानता नहीं ला सके तो यह एक घोर अन्याय होगा। 100 वर्षों की पश्चिमी ढ़ंग की शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा और स्वतन्त्रता के शिक्षा पाठ्यक्रम के बाद भी देश में महिलाओं का स्तर कुछ विशेष ऊपर नहीं उठ पाया है।

मैं समझता हूं कि महिलाओं और बच्चों की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक अलग मन्त्रालय का गठन किया जाये जिसकी मन्त्री एक महिला हो। ऐसी महिला को इस मन्त्रालय का मन्त्री बनाया जाये जो महिलाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदि क्षेत्रों में सरकार को हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये ताकि महिलाओं का स्थान ऊंचा उठ सके और वे हमारी समान सहयोगी बन सकें। हमारे जीवनकाल में ही यह काम हो सके तो अधिक अच्छा होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री सईद अहमद आगा (बारामूला): यद्यपि हमारे संविधान में यह उपबन्ध है कि महिलाओं के साथ कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसा भेद-भाव किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि औरत को हमेशा गुलाम समझा गया है। वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। उसका अब तक शोषण होता रहा है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती हम उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर नहीं ला सकते।

शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिये कि महिलाओं को भी उससे पूरा-पूरा फायदा हो। उन्हें हाथ का कोई काम सिखाया जाये। प्रतिवेदन में बुनाई, संगीत और नृत्य का जिक्र किया गया है। केवल इतना ही काफी नहीं है। उन्हें भारतीय कला का ज्ञान होना चाहिये। इस ज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की जानी जरूरी है।

18 वर्ष से कम आयु में विवाह बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिये। बाल-विवाह पर पूर्ण रोक लगायी जाए। प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री के साथ सम्भोग 18 वर्ष की आयु के बाद ही किया जा सकता है तब बाल-विवाह का कारण मुझे समझ नहीं आता।

दहेज की समस्या बहुत गम्भीर है। लोगों ने दहेज लेने के अनेक ढ़ंग अपना रख हैं। उसे रोकने के लिए जन सहयोग जरूरी है।

यदि ध्यान से देखा जाय तो इस्लाम धर्म में भी बहुविवाह की अनुमति नहीं देता। पर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए शब्दों के गलत अर्थ लगा रखे हैं।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम): बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर, उसके प्रस्तुत किये जाने के $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद सभा में चर्चा की जा रही है। अभी भी सदस्यों में पूरा प्रतिवेदन वितरित नहीं किया गया है, केवल उसका संक्षिप्त संस्करण ही उपलब्ध कराया गया है। मन्त्री जी पेश की गई विस्तृत रिपोर्ट वितरित कराने की व्यवस्था करें।

शिक्षा, उद्योग, रोजगार तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है। 1971 के प्रतिवेदन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सभी आयु वर्गों में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में बहुत कम है। हमारे महान अर्थ-शास्त्रियों ने सदैव यह कहा है कि लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जायेगा। लड़के और लड़कियों में जो शैक्षणिक असमानता है उसे दूर करने के लिए हमने कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। लड़की को आरम्भ से लेकर अन्त तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिये। लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी उत्तरदायित्व सरकार को अपने पर ही ले लेना चाहिये।

[श्री मती टी० लक्ष्मी]

उत्तराधिकार के रूप में पिता के भाग में से उसे अपने भाइयों के साथ एक भाग पाने का अधिकार है। पिता द्वारा स्वयं उपार्जित सम्पत्ति में से उसे अपने भाइयों के समान ही बराबर हिस्सा पाने का अधिकार है। किसी भी समय उसे संयुक्त परिवार में से अपना भाग लेने का अधिकार नहीं है। सरकार महिलाओं को बराबर अधिकार दिलाए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि कल एक नई पार्टी बनने का समाचार छपा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह केवल महिलाओं की पार्टी है।

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा : उन्होंने ऐसा संविधान पास किया है जिसमें महिलाओं को समान अधिकार स्वीकार किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे संदेह है कि क्या वास्तव में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा: मैं चाहती हूं कि पुरुष महिलाओं के साथ सहन शीलता बरतें।

कुछ पार्टियों के सम्बन्ध में एक भ्रम फैला हुआ है कि वे किसी बात के विरुद्ध हैं। जनसंघ ने आज महिलाओं के लिये समानता के अधिकार का प्रस्ताव पारित किया है।

श्री के० सूर्यनारायण (डालुरु): महिलाओं का स्थान सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में महिलाओं के स्थान में सुधार करने के लिए विशाल क्षेत्र पर विचार किया है। यद्यपि संविधान के अन्तर्गत महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है परन्तु इसे गम्भीरता से लागू नहीं किया गया अथवा सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया हैं? इसी कारण यह प्रतिवेदन यहां चर्चा के लिये आया है।

सरकार शिक्षा का केन्द्रीयकरण करने का विचार कर रही है, क्योंकि वह अनुभव करती है कि शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं को लागू करने में कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु महिलाओं और बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए दिए जाने वाले धन को व्यय नहीं किया जाता।

हमें महिलाओं में सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने चाहिए।

प्रतिवेदन में दहेज प्रथा का उल्लेख किया गया है जिसके कारण विवाह आदि में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। शिक्षित व्यक्ति भी दहेज मांग करते हैं। कानून बनाए जाने के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में चोरी-छिपे दहेज दिया-लिया जाता है। अत: सरकार, प्रतिवेदन की सभी सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार करे।

प्रतिवेदन में ग्रामीण महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ आँकड़े दिए गए हैं। शिक्षा अथवा कृषि के क्षेत्र में ग्रमीण महिलाओं ने अत्यधिक हानि उठाई है। शिक्षा मंत्री ग्रामीण क्षेत्र की सभी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देने के लिए कदम उठाएं।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश आदि में एम० डी आदि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, अपने सुसराल से लाखों रुपये के दहेज की मांग करते हैं। आन्ध्र प्रदेश में एक लिपिक 5000 रुपए, उच्च श्रेणी लिपिक 10000 रुपए, स्नातक लिपिक 25000 रुपए की मांग करते हैं।

1921 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करने को कहा था। हजारो विद्यार्थियों ने स्कूल त्यागे।

संसद पर हम इतना पैसा व्यय करते हैं। हम जहां समूचे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सभी बालिकाओं को निम्न से उच्चतम शिक्षा प्रदान करें।

Shri Onkar Lal Berwa (Kalia) : I thank you for the opportunity given to me to speak on this Bill.

Our women in rural areas particularly need to be educated and uplifted. It is a matter of great concern that we are not giving adequate attention to the upliftment of the rural women folk.

The dowary system is still widely rampant in rural areas. If their upliftment is to be brought about they should be given proper education. The Government has done nothing so far to expand education to rural masses. There is a general deal of talk for equal pay for equal work. But one could still find the disparity in the wages of males and females. The discrimination in buses and railways in reserving seats for ladies should be done away with.

It is learnt that so far only 11 per cent is being spent on female education. It is most inedequate. Therefore expensation of education should be under taken in the rural areas so that the rural people could realise the importance of eduction from the upliftment.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : I support this motions. The problems of inequality of sex is not confined to our society only; it is a world wide problem. Our traditional social structure rests on the institutions of marriage, community, caste and so on. In order to change the evils that have crept into it, a radical social transformation has to be brought about and the Government should make efforts in that direction wholeheartedly.

Tribal women are being exploited due to their poverty and they are even forced to change their religion. Government should see that such things are not allowed. Government should take effective steps to educate them. Tribal women folk should be given some work in Panchayats.

The Muslim ladies have not the right of prayer with men. A uniform law should be enacted to be made applicable to all the communities.

To raise the status of women, it is necessary that they should be given equal status in the Society. Government should take effective steps in this regard. Tribal women folk should be given some work in Panchayats administration.

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

A uni orm law should be enacted to be made applicable to all communities so far as marriage is concerned. It is found that among several Communities the Status of women depends upon their fertility. A law should be enacted to protect those ladies who do not deliver any children.

Some provision should be made to offer pension to old and in firm destitute widows or deserted women. So that they may not be exploited for purposes of immoral traffic. The Ministry of Education and Social Welfare should give some serious thought to this aspect as well.

Shri B.R. Shukla (Bahraich) : I am glad that today we are discussing an important matter concerning the Status of women in our Society. In ancient times our women folk had equal status in the Society. There was no discrimination between men and women but later on discrimination started against women in our Society which reduced their status in the Society.

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण दो बजे जारी रखिये ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

Shri B. R. Shukla (Bahriach) : Since independence several legislations have been enacted for bringing about the upliftment of women in our society. Our Constitution also does not make any discrimination on the ground of sex, and efforts are being made to accord political as well as economic equality to women. It has also been provided that some seats for women representatives should be reserved in village Panchayats. Development Committees, and Zila Parishads, but there is no such provision in the case of municipalities. The Ministry should lay down that even in municipalities, there should be women representatives.

The Prevention of Immoral Traffic in women and girls Act is a very good legislation under which the profession of prostitution has been banned. But it has given rise to a new malady of call girls or society girls in the so called progressive and affluent sections of the society. It has also created a good deal of scope for corruption in administration as well. It is a matter of regret that MISA has not been invoked against those persons who conducted brothels. Government should pay attention to this aspect.

The women of weaker sections of society are very much oppressed due to habit of drinking in their menfolk. So, some kind of restriction should be imposed on the persons who cannot afford to indulge in drinking.

The advancement of women in India can not be brought about unless education is imparted to them. In rural areas, the expantion of education has been practically nill during the last few years. The Central Government has done nothing in this direction on the plea that it is a State subject. In fact, the Central Government should issue clear instructions to State Governments to provide eduational facilities and to construct hostels, particularly for female students, at each district headquarter.

As regards divorce, by amending the Hindu Marriage Act very recently, efforts have been made to make it more simple but whatever legislation was enacted in this direction; it should be made applicable to all sections of the society, irrespective of any caste or creed. The system of unilateral divorce should be replaced by bilateral divorce. There should be a common civil code for all the citizens of the country.

The system of child marriage should be abolished. The minimum age of marriage for girls should be raised to 18 years and for boys, it should be raised to 21 years. Then a provision should be made for compulsory registration of marriages. The old age pension to widows should be increased and preference should be given to those ladies who are old and have no means of livelihood.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : महिला कल्याण सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं। हमारे देश की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये हमें यह मानना पड़ेगा कि देश में समाज कल्याण के लिए महिलाओं का दर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश का कल्याण मुख्य रूप से महिलाओं के दर्जे पर ही निर्भर करता है परन्तु यह बात केवल भारत के सन्दर्भ में ही ठीक नहीं अपितु अन्य देशों के सन्दर्भ में भी ठीक इसी प्रकार लागू होती है। भारतीय महिलाओं को यदि पूर्ण अवसर दिये जाये तो वह अपना कमाल दिखाने की क्षमता रखती है। महिला में किसी भी जिम्मेदारी को निभाने का साहस है। अब समय आ गया है जबकि प्रत्येक क्षेत्र में हमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने चाहिये।

पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ समझने का सिद्धांत तो अब केवल अतीत की एक याद बन कर रह गया है। परन्तु यह खेद की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का दमन किया जा रहा है, उनके साथ दासियों का सा व्यवहार किया जा रहा है। तमिलनाडु में दो वर्ष पहले समाज के तथा कथित उच्च वर्ग के लोगों द्वारा हरिजन महिलाओं पर बलात्कार किया गया। एक संसदीय आयोग द्वारा दोषी व्यक्तियों के प्रति कड़ी कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है परन्तु यह खेद की बात है कि अभी तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई। गृह मंत्रालय को इस मामले की जांच करनी चाहिये तथा प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाया जाना चाहिये।

अब हम जरा विवाह विच्छेद के बारे में विचार कर लें। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हम किन्तु महिलाओं को विशेष दर्जा दे रहे हैं जबकि मुस्लिम कानून के अन्तर्गत मुसलमान महिलाओं को कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। अत: सरकार द्वारा मुस्लिम तथा ईसाई महिलाओं के संरक्षण हेतु कोई प्रावधान किया जाना चाहिये।

भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं की विवाह की आयु यदि हम बढ़ा कर 21 वर्ष कर दें तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या में काफी कमी हो जायेगी। इसी प्रकार मेरा एक अन्य सुझाव यह भी है कि विभिन्न परम्पराओं तथा रिवाजों के बावजूद भारत में सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिये।

[श्री के० मायातेवर]

हमारे भारतीय समाज की सब से निकृष्ट बुराई दहेज प्रथा की है तथा इसी के कारण से महिलाओं पर कई प्रकार के जुल्म किये जाते रहे हैं तथा अब भी किये जा रहे हैं। अत: मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि महिलाओं की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को एक दहेज विरोधी विभाग बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

Shri Hari Singh (Khurja) : If we look at the *past history* of India, we will see that woman was not given a status equivalent to that of man in our country. Now some recommendations have been made by the Committee on Status of women in India. It appears that many of these recommendations have been implemented by the Government. So the mind of the Governement in this regard is quite clear. We will have to give full freedom to women in India. She must be given equal status in the society. It is a matter of satisfaction that our Government is taking certain radical steps in this regard. But one thing I may point out that no substantial progress has been made with regard to making women self-reliant economically. It is suggested that fifty percent of the posts which require flexibility and delicacy should be reserved for ladies.

A lot of discrepancy is still continuing in Muslim law according to which widows and daughters in that community are deprived of share in their father's property. This discrepancy must be looked into. Similarly, polygamy among Muslims should also be done away with. In fact the women themselves should rise up against this system and start a movement against all injustice.

It is a matter of great concern that the tendency of nudity is on increase among the females in the name of fashion. It is high time for the women to raise their voice against such nudity. A countrywide movement should be started against such advertisement which display nudism of the women.

With these words I support the report and wish that it would be implemented at the earliest.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : शारीरिक रुप से महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। उनमें सामर्थ्य शक्ति अधिक हैं। उनकी दीर्घ आयु होती है। तथा कई ऐसी अन्य बातें हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं।

एक ऐसा समय था जब भारत में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था लेकिन बाद में उन को कम दर्जा दिया जाने लगा। और आज हम को यह देखना है कि किस प्रकार उनका दर्जा बढ़ाया जा सकता है।

मानव मात्रा की आधी जनसंख्या महिलाओं की है और उन्हें मत देने का समान अधिकार है लेकिन इस के बावजूद भी समाज में समान दर्जा प्राप्त करने हेतु उन्हें कई बार मांग करनी पड़ती है याचिकाएं देनी पड़ती है। अनुरोध करना पड़ता है और कई बार आन्दोलन भी करना पड़ता है। इस से स्पष्ट है कि हम ने महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया है। समस्या के इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना है तो उन्हें शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। सौभाग्यवश सभी क्षेत्रों में चाहे वह इलेक्ट्रानिक हो या घड़ी बनाने का या कपड़े सिलने या पशुपालन महिलायें अधिक कुशल हैं। यदि पोलीटैक्निक

स्थापित किए जाएं तो इस उद्देश्य की प्राप्ति अच्छी हो सकती है । यदि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं तो इस कार्यहेतु हमें उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए और इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जिले में एक महिला पोलीटेक्निक स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : इस समय हमारे समक्ष प्रश्न महिलाओं के दर्जे को बढाने का नहीं है प्रश्न यह है कि क्या भारत महिलाओं के दर्जे में आधारभूत परिवर्तन किए बिना अपने गन्तव्य तक पहुंच सकता है । कोई भी राज्य और कोई भी देश आधा गुलाम और आधा मुक्त नहीं रह सकता अतः हमारे समाज में महिलाओं के दर्जे में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए प्रयास करने होंगे ।

महिला छात्रों और विद्यार्थियों को विदेशों में जाने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में चौगुनी वृद्धि की जाए ताकि वह अपने समाज की महिलाओं के दर्जे में परिवर्तन लाने से पहले विश्व को घूम कर देख सकें। कालीदास ने महिलाओं की भूमिका के बारे में व्याख्या की है वह केवल एक पानी ही नहीं अपितु मित्र, दार्शनिक और मार्ग दर्शक भी है । हमें उन्हें उनका यह दर्जा देना है । अतः इस उद्देश्य के लिए इस दिशा में सतत प्रयास की आवश्यकता है ।

सरकार को महिलाओं की क्षेत्रवार आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ठोस उपाय अपनाने चाहिए ताकि महिलाएं भारत की समृद्धता और विकास में आर्थिक रूप से योगदान देने के साथ साथ समाज में अपना उचित स्थान भी बना सकें।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : आज देश में आपात स्थिति का नारा यह होना चाहिए कि देश से वैश्यावृत्ति का उन्मूलन हो। अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1946 में पारित किया गया और इस अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन के प्रस्ताव भी इस समय सदन में लाए जाएं। लेकिन फिर भी बड़े शहरों जैसे बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में कई वैश्यायें हैं। दुख की बात हैं कि इस बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया हैं कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त कितनी महिलाओं ने यह पेशा अपनाया। काफी लड़कियों को यह पेशा इसलिए अपनाना पड़ता हैं क्योंकि उन के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जिन से विवश हो कर लड़कियों को यह धन्धा अपनाना पड़ता है । सरकार को उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए ताकि समाज से इस बुराई को दूर किया जा सके।

सरकार को इस दिशा में हर संभव उपाय करने चाहिए और आवश्यकता पड़े तो इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ताकत का भी प्रयोग करना चाहिए।

यह बड़े दुख की बात है कि बंगाल के पारिम्परिक थियेटर "मातर स" में भी कैबरे दिखाया जा रहा हैं अब चातरस में भारत नाट्यम रवीन्द्र संगीत इत्यादि नहीं होता । वे कैबरे दिखाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को भी इस बात का ज्ञान हो गया है कि व्यावसायिक दृष्टि से

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

किस प्रकार वह अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। ऐसी प्रथा को केवल कानून के जरिए ही रोका जा सकता है । हमें ऐसी कुप्रथाओं को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए अपने आप कुछ कार्यवाही करनी होगी।

Shrimati Premalabai Chavan (Karad) : The suggestions made in the report are of great importance and it is hoped that they will be properly implemented.

We have done much in the cites and much has been said about it. But we have not yet reached that part from where we should háve started and that part is the rural areas. The education of women should start from the villages and we should chalk out a programme for it. The difficulties that are being faced in the field of education in villages should be resolved. If the parents in the rural areas do not send their children to the school it is because of economic difficulties. Therefore, Government should provide not only free education but also mid day meals and uniforms, especially for girls.

All the suggestions made to raise the status of women are welcome and attempts are being made to implement them. If this could not be done by law, incentives will have to be provided in various fields. Thus reservations should be made for the women in industries. The women could do very well in the bulb industry and the electronics industry but they are not being taken in those industries. Govt. should pay attention to it. Some rebate should be given in income tax to those industries which employed more women. On the other hand one per cent surcharge should be levied on those industries which do not employ women. Such a provision will be of great help in raising the economic status of women.

As regards agricultural labour, the number of women is quite considerable among them. In my area the work of rice cultivation is done exclusively by women. But they are not being given maternity and other benefits. Also, the women labourers are paid less as compared to men. This discrimination should be removed.

In the political field also, the women do not get as much representation as is desirable. At the time of election, it is insisted that 15 per cent seats should be given to women but it is not done. It is high time more opportunities are provided to the women in the political field so that they could themselves find a solution to their difficulties.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Inspite of the fact that the government of this country is being run by a women, their pace of progress is quite slow. The biggest blot in our society is the system of dowry which compelled the parents to dispose of their property for the marriage of their daughters. This type of feudalistic system should be completely eradicated. But the misfortune is that the law passed in this regard is not being properly observed. For instance, in Bihar the antidowry law is being openly violated by the very people who are entrusted with the responsibility of its implementation. A glaring case of such violation is seen in village Hathiyava in Shekhpura block were a grand feast was organised on the occasion of a marriage which was attended by 3000 guests in utter disregard of the guest control order. Over and above that dowry worth Rs. 40,000 was given. So long as these evils are not stopped all talk of equal status of women will be meaningless.

Shri Nath Ram Ahirwar (Tikamgarh) : We want to know as to how many villages were visited by the Committee which has submitted this report. Did it go to the women working in the fields whose children remained in the open through out the day? When the women

of high castes are engaged in worship in the early morning the poor Harijan women carry night soil on their heads. Did the Committee go to these women? So long this disparity continued in the condition of the women of different strata of our society, how will we be able to raise their status ?

It is true that today some women are working on the posts of Collectors, Deputy Collectors and Secretaries. On that basis we could very well tell the other countries that our women have made so much progress. But the question is what has the Government done to raise the status of the women belonging to the lower strata of the society ? It is high time Government pays attention to it.

If we want to raise the status of women the first thing we have to do is to tackle the evil of dowry. The best way to do it is to spread education among the girls, especially in the rural areas.

Whatever we might talk about Sita, Savitri and Anusuya, the fact remains that women are still regarded as objects of sexual pleasure. Unless some concrete steps are taken to raise the status of women this state of affairs is likely to continue. Mere passing of a law will not help, if it is not properly implemented.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमारे देश में महिलाओं के दर्जे के समूचे प्रश्न का सम्बन्ध अन्ततः भारतीय लोगों के दर्जे के आम प्रश्न से है । भारत में केवल महिलाओं का ही दर्जा नीचा नहीं है, अपितु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर बहुत नीचा है। यह खुशी की बात हैं कि इस विषय पर चर्चा हमारे महान नेता स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू की पुण्य तिथि पर हो रही है । पण्डित जी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं सहित समाज के निर्बल वर्गों के उत्थान के लिये महान कार्य किया है । मैं उस महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस के लिये समिति बधाई की पात्र हैं । प्रतिवेदन का अध्ययन करने से पता चलता है कि समिति ने वास्तव में असंभव तथा अव्यवहार्य कार्य को संभव और व्यवहार्य बनाया है । समिति ठीक है इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्वतंत्रता के 25 वर्ष से अधिक समय के बाद भी देश में महिलाओं की स्थिति उस से भी बदतर है, जो स्वतंत्रता से पहले थी। यह बहुत दुखद निष्कर्ष है । परन्तु प्रतिवेदन के पढ़ने से ऐसा ही पता चलता है ।

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हमारी स्वतंत्रता के प्रथम पांच या दस वर्षों में स्थिति इतनी बुरी नहीं थी । शायद महात्मा गांधी , पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य स्वतंत्रता । सेनानियों के कारण ही ऐसा था, क्योंकि इन लोगों ने महिलाओं के न्याय के लिये लड़ना सिखाया था। किन्तु स्वतंत्रता के दस या पन्द्रह वर्षों बाद इस दिशा में अधिक प्रगति करने और अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की बजाय इस में स्थिरता आई है ।

[श्री पी०जी० मावलंकर]

प्रतिवेदन के पढ़ने से पता चलता है कि महिलाओं का दर्जा घटा है । यह इतने दुख की बात नहीं है कि लोक सभा में किसी विशेष अवधि में महिला सदस्यों की संख्या घट गई अर्थात् उनका राजनीतिक दर्जा घट गया, अपितु दुख की बात यह है कि उनका शोषण और अधिक किया जाने लगा है, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता आदि आदि । यदि स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन मिलता है और यदि इस तरह का शोषण और प्रगति विरोधी स्थिति जारी रहती है तो न केवल शिक्षा मंत्री तथा सरकार और संसद् को ही, अपितु देश के सभी जागरूक लोगों को यह सोचना होगा कि महिलाओं को इन बेड़ियों तथा गुलामी से बचाने के लिये क्या किया जाना चाहिये। प्रतिवेदन का गहन अध्ययन करने से पता चलता है कि गती दस-पन्द्रह वर्षों में महिलाओं की न केवल शैक्षिक और राजनैतिक अपितु आर्थिक सामाजिक और अन्य स्थितियां भी खराब हुई हैं । उद्योगों में विशेषतया बागान में बड़ी संख्या में महिलायें काम करती हैं, परन्तु उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है, हालांकि वे काम में पुरुषों के समान ही दक्ष हैं। यह कैसी विचित्र स्थिति है । पुरुष द्वारा बनाए गये समाज का मूल प्रश्न यह है कि वह हर क्षेत्र में महिलाओं पर हावी रहना चाहता है । पुरुषों की यह गलत धारणा है कि महिलायें उन के समान कार्य नहीं कर सकती । इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इस प्रतिवेदन को पढ़ना सभी संसद् सदस्यों के लिये अनिवार्य किया जाये । सरकार को यह प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध कराना चाहिये, ताकि संसद् में इस पर न केवल वाद विवाद हो, अपितु समूचे देश में इस पर गोष्टियां और चर्चायें की जायें ।

महिलाओं के दर्जे पर विचार करते समय यह कहने से काम नहीं चलता कि प्राचीन युग में उनका स्थान बहुत ऊंचा था । महिलाओं का बहुत आदर किया जाता है । हम ने देखना यह है कि वर्तमान स्थिति क्या है समिति ने स्वयं कहा है कि जब उन्होंने महिलाओं की दशा और दर्जे को देखने का प्रयास किया तो वह उन का वर्गीकरण नहीं कर सकी । अत: मोटे तौर पर उन्होंने महिलाओं को तीन वर्गों में बांटा है । पहला वर्ग है गरीबी की रेखा से नीचे की महिलायें । दूसरा वर्ग गरीबी की रेखा के आस पास वाली महिलायें और तीसरा वर्ग गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर वाली महिलायें । केवल कुछ ही मुट्ठी भर महिलाओं को शिक्षित, धनी और समृद्ध समझा जा सकता है । मैं उनका वर्गीकरण तीन पहलुओं के अन्तर्गत करना चाहता हूं। पहला यह है किस-किस बारे में कानून तथा सरकार (क) बाधाओं को दूर कर सकती है, (ख) कुछ प्रवृतियों को प्रोत्साहन दे सकती है ; (ग) उन्हें कुछ सुविधायें प्राप्त करने के लिये समर्थकारी बना सकती है और (घ) स्वयं सेवी निकायों की सहायता कर सकती है । कानून तथा सरकार विवाह प्रथा, उत्तराधिकार कानूनों तथा समान कार्य के लिये समान वेतन अधिकार सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपरोक्त चार बातें कर सकती है ।

दूसरे समाज सेवी निकाय क्या कर सकती है। ये निकाय जनमत पैदा करने, पुरुषों, विशेषकर उन के पतियों, भाइयों तथा बेटों को शिक्षित करने तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को समझाने में विशेष कार्य कर सकती हैं । तीसरे शिक्षा महिलाओं के लिये क्या कर सकती है । शिक्षा लड़कियों की दशा सुधार सकती है । लड़कियों की शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक न्यास निधि में वृद्धि की जानी चाहिये ।

Shri Rajdev Singh (Jaunpur); The status of women varies from religion to religion. Hinduism accords equal status to women. In Vedas and Puranas and other religious books a very high place has been given to women and no religious ceremony is performed unless both the husband and the wife are present. Women enjoy more or less the same status among christians also. I do not know much about Islam. But perhaps equal status has not been given to women in Islam. So it is evident that the status of women varies from religion to religion and Country to Country.

In our Country since ancient times women have been given a very high status and are considered as supplement to their menfolk. It is well known that in the present day society, women have to depend on men and they do not enjoy the least economic freedom. They suffer from various social disabilities which retard their advancement. It has been pointed out by one of my hon. friends that the girl who passes IAS is not allowed to marry. The Government should remove such restrictions.

I have read the history of the revolution of Turkey. Before revolution women folk in that country was not allowed to come out of the houses. Purdah was the order of the day. But now after revolution, the picture has entirely changed there and women are no longer exploited. They enjoy equal rights and status there. So if we want to save our womenfolk from exploitation if we want to give the equal status and economic independence, we must accord highest importance of women education. Education should be imparted on a larger scale to girls and jobs should be reserved for them in such departments which are most suitable to them such as nursing. primary education, child care etc. etc. Not only that assistance such as books etc. should also be given to them. Unless they are taken in services in larger number, their economic dependence on men will continue and we will not be able to raise their status.

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri—Garhwal) : Though a very high status has been given to women in our Vedas, Puranas and other religious books the fact is that women have been suffering at the hands of men since ancient times and there has always been and perhaps there will be a hell of difference in our sayings and doings. I welcome the report of the Committee on the status of women and at the same time submit that a national policy should be adopted in regard to women so that a national plan or scheme could be drawn up to bring about the upliftment of women.

The National Committee for women's Education has stated in their report that the condition of women's education is pitiable. It is evident from the census figures that there is great difference among men and women in the matter of literacy. The reason for this difference is that proper attention has not been given to women education. The only solution to this problem is that proper attention should be given to women education.

So far as the question of employment is concerned, lesser employment opportunities have been made available to women and the organised sector industries avoid employing women. Therefore, the present policy of the Government requires radical changes.

At present about 41 non-official institutions are working in the field of advancement of women. One would like to know what is their prerformance. There are several institutions like the Social welfare Board and the Association of Moral and Social Hygine which are working in the field of Women education. My suggestion is that all these institutions should be merged into one body. As the funds allotted to them are not effectively utilised.

[Shri Paripoornanand Painuli]

16th February is observed as women's day in our Country. Our Prime Minister is not only the Prime Minister of our Country, but she has earned a very high name in the world. So, I suggest that her birth day i.e. 19th November be observed as women's day in the Country.

The Education Ministry should formulate a policy for the advancement of women and chalk out a programme under it with a view to improving the economic condition of the women belonging to poor and backward classes. If necessary, constitutional safeguards should be provided to them. Our mass media should undertake more and more publicity of those measures that will bring about women's advancement.

Shri M. C. Daga (Pali) : In India, rural women are more oppressed due to their poverty. So, unless their poverty is removed, they cannot be emancipated. I would like to know what steps Government proposes to take to remove it and relieve them from age-old conservation.

Shri Chandra Bhae Mani Tiwari (Balrampur) : Mr. Chairman, I wish to congratulate the Education Minister for moving this motion. Government should take steps to implement the suggestions and recommendations made by the Committee in their report.

It has highly been said that restrictions should be imposed on those Mullahs and Pandits who obstruct the work of upliftment of women.

Equal opportunity should be provided to women in the field of education. Unless resources are mobilised for their upliftment, their status cannot be raised. If immediate measures are not taken to remove their backwardness, we would be further relegated to backwardness in future.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन): मैं अपने राष्ट्रीय जीवन के इस महान अवसर पर, इस देश के महान सपूत, पं० जवाहरलाल नेहरू, जो आज के दिन हमसे अलग हो गये थे, की स्मृति में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चहता हूं, जिन्होंने महिलाओं की दशा सुधारने और उन्हे बराबर का दर्जा दिलाने के लिये महान कार्य किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा इस देश के असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की दूरदर्शिता के कारण ही इस देश में जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं की वैधानिक एकता को मान्यता दी थी। भारत में महिलाओं के स्थान सम्बन्धी समिति ने सराहनीय कार्य किया है और हमें ठोस सुझाव और सिफारिशें पेश की हैं, जो वास्तव में व्यवहार्य हैं। यदि इन्हें कार्यान्वित किया जाये तो इन की स्थिति में बड़ा प्रशंसनीय सुधार होगा।

प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक धार्मिक दल, प्रत्येक सामाजिक संगठन को मिहलाओं के विरुद्ध भेद-भाव दूर करने के लिए अपनी भूमिका निभानी है। प्रत्येक राजनीतिक नेता को महिलाओं के कष्टों को दूर करने के लिए अपना भरसक प्रयास करना है और तन और मन से कार्य करना है ताकि इस सदन द्वारा पास किए गए कानून कारगर तरीके से कार्यान्वित किये जायें।

यह ठीक ही कहा गया है एक मात्र महत्वपूर्ण कारण महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जायें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। यह मामला देश के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। यह तब तक होना असम्भव है जब तक महिलाएं इस संघर्ष में पुरुषो के समान भाग नहीं लेंगो।

महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक नहीं है। मैं इस बात पर बहुत जोर देता रहा हूं कि लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य की जायें, चाहे पूर्णकालिक या अल्पकालिक। लेकिन यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक लड़की शिक्षा प्राप्त करे।

इस समय पहली से पांचवीं कक्षा में 6 से 11 वर्ष की आयु की लगभग 64 प्रतिशत लड़कियों ने दाखला लिया है। यह बड़ी असंतोषजनक स्थिति है। लेकिन साथ ही यह धारणा भी गलत है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। 1965 की तुलना में 1973 में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमश: 21 प्रतिशत और 29 प्रतिशत है। जहां तक माध्यमिक कक्षाओं का सम्बन्ध है छठी से आठवीं कक्षा में 33 प्रतिशत लड़के हैं और 62 प्रतिशत लड़कियां हैं। 9वीं और उच्च कक्षाओं में इस प्रतिशतता में वृद्धि हो कर 39 प्रतिशत लड़के हैं और 79 प्रतिशत लड़कियां हैं। अत: यह कहना अनुचित है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकाधिक प्रयास किये जायेंगे।

गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम, शिल्प कला शिक्षा कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा तथा व्यावासायिक शिक्षा, आशुलिपि और सघन शिक्षा पाठ्यक्रम हाल ही में विशेषकर 15 वर्ष से 25 वर्ष की युवा महिलाओं के लिए आरम्भ किये गये हैं।

जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल पद्धति में प्रवृत्ति परिवर्तन करने के प्रश्न पर ध्यान दिया है ताकि लड़कियों के लिए भिन्न पाठ्यक्रम और लड़कों के लिए भिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने की पुरानी रूढ़ि में परिवर्तन किया जाये।

हाल ही में 2 से 4 अप्रैल, 1976 तक एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया गया था जिसमें महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी मूल्यों में तादात्मय स्थापित किया गया था जिससे ये मूल्य हमारी नई शिक्षा पद्धति में समाविष्ट किये जायें और साहित्य में इनको उचित स्थान मिले। इस सम्मेलन का उद्देश्य भाषा, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान की शिक्षा के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना था।

सदस्यों ने दहेज विरोधी मामले को लेकर ठीक ही प्रश्न उठाया है। उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों ने इसे भली प्रकार क्रियान्वित करने के लिए अपने विधान में पहले ही संशोधन किए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने भी अपने वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के लिए कदम उठाये हैं। ये विधायी उपाय बहुत ही सराहनीय कदम हैं। लेकिन ये विधायी कार्य तभी सफल होंगे जब कि जनता के मन में यह विचारधारा बैठाई जाये कि दहेज प्रथा एक अभिशाप है।

समान कार्य के लिए समान परिलब्धियां अधिनियम के बारे में भी मामला उठाया गया है। यह ठीक ही है और हमें असंगठित क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के प्रश्न पर ध्यान देना है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि श्रमिकों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम को काजू और नारियल जटा उद्योग समेत सभी उद्योगों में लागू करने का प्रस्ताव है तथा इस अधिनियम के लागू होने से समान उपलब्धियां अधिनियम का लागू होना सुनिश्चित होगा।

[प्रो० एस० नरुल हसन]

विवाह की आयु के सम्बन्ध में सदन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जनसंख्या नीति संबंधी वक्तव्य की ओर ध्यान दें जिसमें कहा गया है कि विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी जाए तथा इसके लिए समुचित विधान पास किया जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि विवाह का पंजीयन अनिवार्य करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

सदस्यों की यह मांग उचित ही है कि समाज कल्याण मंत्रालय भारत में महिलाओं का स्थान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को लागू करने की ओर ध्यान दे।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर यह तय किया गया है कि एक राष्ट्रीय महिला समिति स्थापित की जाएगी जिसकी अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री होंगी तथा जिसमें संसद्, राज्य सरकारों, प्रमुख महिला संगठनों, व्यावसायिक महिला संगठनों, विभिन्न स्वयंसेवी क्षेत्रों जैसे, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण और रोजगार तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होगा। जिन मंत्रियों को हम समिति का सदस्य बनाना चाहते हैं, सभी महिलाएं हैं परन्तु मैं उस समिति का उपाध्यक्ष रहूंगा। मैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिख रहा हूं कि वे भी अपने-अपने राज्यों में इसी प्रकार की समितियों का गठन करें जिनके अध्यक्ष स्वयं मुख्य मंत्री हों। मेरे मंत्रालय में एक शक्ति सम्पन्न ब्यूरो होगा जो लगातार इन समितियों के कार्य के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा और निगरानी रखेगा।

राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. NATIONAL POLICY FOR CHILDREN

The Dupty Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) :

Mr. Chairman, I beg to move :

"That this House do consider the Government Resolution No. 1-14/74—CDD dated the *22nd* August, 1974 on National Policy for Children, laid on the Table of the House on the *26th* August, 1974."

It is appropriate that the resolution is being discussed on the death anniversary of Jawaharlal Nehru who had immense love for ch ldren.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

(SHRI VASANT SATHE *in the Chair*)

On the 15th August, 1947, Pt. Jawaharlal Nehru had said that children's tears have to be wiped, we have to bend all our energies to implement that promise.

Article 45 of the Constitution provides for free and complusory education for children upto the age of 14. We have not been able to achieve this objective due to various reasons but we would continue our efforts vigorously to achieve the objective.

The child is the asset of the nation. The entire nation has to take a bow to look after the welfare of the child. In measures for children's welfare, non-official organisations have to

play an important role. In my district of Monghyr in Bihar over four lakh children have been given triple entigen vaccination through a programme which has been put through with official and non-official co preation.

The Child is the nation's asset. The entire nation has to take a bow to look after the welfare of the child. In measures for children's welfare, non-official organisations have to play an important role. In my district of Monghyr in Bihar over four lakh children have been given triple entigen vaccination through a programme which is put through with official and non-official cooperation.

Mahatma Gandhi has said that "real education has to draw out the best from the boys and girls to be educated. This can never be done by packing ill-assorted and unwanted information into heads of the pupils. It becomes a dead weight crushing all origenality in them and turning them into mere automata." We are making efforts to mould our new system of education on these lines. New experiments are being conducted for the proper growth of children. We want that our children should grow into good men and women.

The Government resolution on National Policy for Children will be like a guiding star for us and all organisations engaged in the welfare of children.

Our Prime Minister has said : "I want the children of India to grow up interested in everything around them. I want them to use their minds and their hands. I want them to be proud of India and regard all Indians as equal.

We have to impart this education to teachers, students and children. The heart of children is clear. It is the duty of all of us to ensure health of children.

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : यह संकल्प 1974 में स्वीकृत किया गया था परन्तु इसे सदन में चर्चा के लिए 2 वर्ष बाद पेश किया गया है। संविधान में यह उपबन्ध है कि 14 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे को किसी फैक्टरी आदि में काम पर न लगाया जाये और 10 वर्षों की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी। परन्तु हमने इस दिशा में कहां तक प्रगति की है? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्णय लिया गया है कि बच्चों के कल्याण के लिये क्या किया जाना चाहिये, परन्तु इसके बावजूद हमारे देश में बच्चों की बहुत उपेक्षा की गई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश में 1--14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की संख्या 24, 32, 90, 000 हो जायेगी। माताओं और बच्चों के कल्याण के लिये हर संभव प्रयत्न किया जाये। ये हमारी जनसंख्या का 62 प्रतिशत है। विभिन्न परिवार और बाल कल्याण संस्थाओं को गर्भवती महिलाओं और बच्चों की अधिक देखभाल करनी चाहिये। गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं दी जायें जिससे प्रसव के समय उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। बच्चों के जन्म से लेकर उनके पाठशाला जाने के समय तक अर्थात् 6 से 14 वर्ष की आयु तक उनकी विशेष देखभाल की जाये।

---

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

हमारे देश में बाल मृत्यु और जन्म दर बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण देश में विद्यमान अत्यधिक दरिद्रता ही हैं जहां 70 प्रतिशत लोग निर्धनता से भी निचले स्तर पर रहते हैं तथा 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए जब तक हम अपना ध्यान शहरों से हटाकर गांवों की ओर नहीं करते सार्थक बाल कल्याण गतिविधियां नहीं चलाई जा सकतीं।

बाल कल्याण का उत्तरदायित्व शिक्षा तथा समाज कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बंटा हुआ है। इन मंत्रालयों के बीच सहयोग के अभाव में पिछले दो वर्षों में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप देश के बच्चों की उपेक्षा हुईहै। विभिन्न मंत्रालयों के बीच उचित तालमेल होनी चाहिये जिससे बाल कल्याण का काम तेजी से किया जा सके।

यह कहा गया है कि प्रस्तावित बाल कल्याण बोर्ड में 29 सदस्य होंगे जिसमें से 10 सदस्य विभिन्न सामाजिक संगठनों के होंगे। मेरा अनुरोध है कि सदस्यो की संख्या 29 से बढ़ाकर 37 कर दी जाये। इन 8 अतिरिक्त सदस्यों में से चार सदस्य विभिन्न कार्मिक संघों के हों। इन सदस्यों को गरीब कर्मचारियों के जीवन निर्वाह का पर्याप्त अनुभव होगा। अन्य चार सदस्य केन्द्रीय किसान सभा के हों।

1973 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह निर्णय किया था कि 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को कड़ी मेहनत के काम पर लगाया जाये। परन्तु हमारी सरकार का कहना है कि हम इस सिद्धांत को नहीं अपना सकते क्योंकि भारत में 5·9 प्रतिशत श्रमिक बच्चे ही हैं। सरकार का यह रवैया उचित नहीं है। उन्हे ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिये जिससे बच्चों को कड़ी मेहनत के काम पर न लगाया जाये।

1968 में यह अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 0.5 प्रतिशत बच्चे लावारिस या परित्यक्त बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को देखभाल करने वाले अनाथालयों की संख्या बहुत कम है। सरकार इनके लिए और अधिक बाल गृह बनाने का प्रयत्न करे जिससे ये अनाथ बच्चे भी देश के अच्छे नागरिक बन सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में वर्तमान सामाजिक प्रणाली का आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक शोषण करने वाली सामाजिक प्रणाली बनी रहेगी, तब तक गरीब लोगों का भला नहीं हो सकता। वर्तमान प्रणाली में समान विकास सम्भव नहीं है। अतः हमें वर्तमान सामाजिक ढांचे में आमूल परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिये। केवल तभी हम गरीब लोगों का भला करने की बात सोच सकते हैं।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : In the context of the present situation in the country our slogan should be 'Don't produce a child, look after the child carefully.'

Children can be divided into certain categories; children who belonged to good families and are normal and healthy, children who are poor and destitute children who are handicapped and children who have been abandoned and whose parents are not known. These unfortunate children of the last category should be given utmost attention. More foundling, houses should be opened where such children can be taken care of.

Arrangements should be made to provide nutritional food to school children. Government as also voluntary organisations can undertake this work in an effective way. The present system of supplying food to school children is defective and it is doubtful if the food meant for children actually reached them.

Child Adoption Bill is pending in the Joint Select Committee. This Bill should be brought before the House and passed early so that benefits can be made available to our child population.

Efforts should be made to look after the destitute and orphan Children. Voluntary institutions can play an effective role in this respect. This should be looked into.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए]

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

Child Welfare includes the welfare of mothers also. Therefore, arrangements have to be made to see that a mother receives proper attention, proper diet and a congenial environment if we want the baby to grow into a healthy Child. To serve this purpose specially in rural areas where such facilities are lacking more family planning welfare centres and Child guidance Clinics should be opened.

Arrangements should be made to screen films for the children in the villages, so that children in the villages can get some sort of recreation.

Government should seek the cooperation of Voluntary organisations and social workers in the field of Child welfare. This will bring out quick result in short time.

During 1975-76 an amount to the tune of Rs. 132.37 Lakhs have been provided for assistance to 245 voluntary organisations which will look after 15,905 Children. Such voluntary organisations can play an effective role in this respect. Family Planning measuras are to be adopted in a genuine way. This work relates to the Health Ministry. So proper Coordination among the various ministries is very essential.

I hope the Hon'ble Minister will pay some attention to my suggestions.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : बच्चे राष्ट्र को अमूल्य निधि हैं। हमें राजनीतिक भेद-भाव भुला कर उनके कल्याण कार्य में जुट जाना चाहिये। इस कार्य में राष्ट्र के सभी दलों का सहयोग मिलना चाहिये।

बाल कल्याण की समस्या एक विशाल समस्या है। गंगाशरण सिंह समिति के अनुसार बच्चे, गर्भवती महिलायें तथा गोद के बच्चे वाली माताओं की संख्या कुल जनसंख्या का 62 प्रतिशत अर्थात् 37 करोड़ है। हमें इनके स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा और अन्य कल्याण कार्यों पर विचार करना है। वर्तमान शहरीकरण के कारण बाल-कल्याण की समस्या और जटिल हो गई है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं और गन्दी बस्तियो में रहते हैं तथा उनके परिवार अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं। बाल कल्याण की समस्या की ओर ध्यान देते समय हमें उनके पोषण और शिक्षा की ओर ही ध्यान नहीं देना वरन् बच्चों को मिलने वाले वातावरण की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

निराश्रित बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार ऐसे बच्चो की संख्या 10.5 लाख है। उनमें से अधिकांश अनाथालयों में रहते हैं। पर सरकार को जानकारी ही नहीं है कि देश में कितने अनाथालय चल रहे हैं। ऐसा पता चला है कि ईसाई मिशनरी 600 अनाथालय चलाते हैं। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं भी अनाथालय चलाती हैं। परन्तु इनकी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। वे सन्तोषजनक सेवा नहीं कर रही हैं।

अनाथालयों और शिशुपालन गृहों में मृत्युदर 60 प्रतिशत है। प्रश्न यह है कि उन की स्थिति किस प्रकार सुधारी जाये। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत दूसरी जाति के बच्चों को गोद लिया जा सके। हिन्दु बाल दत्तक अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दू केवल हिन्दुओं के बच्चों को ही गोद ले सकते हैं। सदन में यह एक व्यापक दत्तक विधेयक लाने का प्रयत्न किया गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। यह विधेयक अभी तक संयुक्त समिति के विचाराधीन है। सरकार इस विधेयक को शीघ्र पास करने के लिए कदम उठाये। इसमें विदेशियों को बालक गोद लेने का अधिकार होना चाहिये।

सौभाग्य से मदर बेनिगना और मदर टेरेसा द्वारा चलाये जाने वाले कुछ आदर्श गृह तथा शिशु भवन हैं। सरकार को चाहिये कि ऐसे गृहों की स्थापना के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहन दे।

बाल अपराधियों का मामला बाल अधिनियम के अन्तर्गत आता है। सरकार ने इसमें कुछ दोष पाये हैं और सम्भवतया वह संशोधन करने पर विचार कर रही है। इसके लिए भारतीय समाज विज्ञान परिषद् ने एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस दल ने मद्रास, दिल्ली और बम्बई का अध्ययन करने पर अपना प्रतिवेदन दिया है और कहा है कि इन के मामलों पर सावधानी से विचार किया जाये।

इनकी जांच प्रणाली वर्गीकरण केन्द्रों के माध्यम से तैयार की जानी चाहिये जिनमें पुलिस, विधि विभाग, मनो स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हों। इन वर्गीकरण केन्द्रों द्वारा बच्चों को पुलिस द्वारा बाल-अपराधी या गैर-बाल-अपराधी शीघ्र ही घोषित करने की वर्तमान व्यवस्था बदलनी चाहिये। बाल अधिनियम में से ये दोष दूर किये जायें।

सरकार के अनुमानों के अनुसार 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बाल जनसंख्या विकलांग है। ऐसे बच्चों की कुल संख्या 30 लाख है। इन बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। अधिकांश बच्चे सामाजिक उपेक्षा और कुपोषण आदि के कारण विकलांग हो जाते हैं।

गंगाशरण समिति ने विकलांग बच्चों के प्रश्न पर गम्भीरता से जांच की है और रिपोर्ट दी है कि शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के सुधार, इन्हें बसाने और समाज में उन्हें उचित स्थान दिलाने पर 3555 करोड़ रुपये व्यय होंगे। क्योंकि बहुत अधिक व्यय अपेक्षित है अतः समिति के सुझाव के अनुसार हमें इस सम्बन्ध में संतुलित रूप से कार्य आरम्भ करना चाहिये। आगामी 20 वर्षों में इस जनसंख्या के 20 प्रतिशत भाग का उपचार किया जाना चाहिये। उन्हें उचित स्थान दिया जाये ताकि वे समाज के लिए उपयोगी बनें और उनका सुधार करके उनका पुनर्वास किया जा सके।

इस राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान सरकार ऐसे कार्यक्रम तैयार करे जिससे इन लोगों के प्रति लोगों में चेतना जगाई जा सके और यह चेतना एक राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले सके। जनता भी विकलांग बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझ सके।

इमें जन समर्थन की प्राप्ति के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। मन्त्री जी कृपया अगले सत्र में हमें उन उपायों की जानकारी दें जिनसे जन-समर्थन प्राप्त किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् एक वक्तव्य देंगे।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान के बारे में वक्तव्य

Statement *Re.* Payment of Bonus to LIC Employees

बोनस की अदायगी के बारे में सरकार द्वारा लिये गये नीति सम्बन्धी निर्णयों से अवगत हैं। जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम और बैंक के कर्मचारी बोनस अदायगी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत नहीं आते और उन्हें बोनस के बदले में अनुग्रहपूर्ण अदायगी की जाती है। सरकार ने यह निर्णय किया कि अनुग्रहपूर्ण अदायगी की अधिकतम रकम वेतन का 10 प्रतिशत होगी और इस प्रयोजन के लिये अधिकतम वेतन 750 रु० प्रति मास माना जायेगा। इस प्रकार की अनुग्रहपूर्ण अदायगी पाने के हकदार केवल वे कर्मचारी होंगे जो 1600 रु० प्रति मास तक वेतन पा रहे हैं। इस आधार पर, वर्ष 1974 के लिए साधारण बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को उनके वेतनों के 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच तक की रकम अनुग्रहपूर्ण अदायगी के रूप में पहले ही अदा की जा चुकी है। लेकिन विद्यमान समझौते के अनुसार जीवन बीमा निगम के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारी अपने वेतन के 15 प्रतिशत की दर से अदायगी के हकदार हैं और वह भी बिना किसी अधिकतम वित्तीय सीमा के। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को साधारण बीमा निगम और बैंकों के कर्मचारियों के समकक्ष लाने की दृष्टि से सरकार ने इस समझौते में संशोधन करने के लिए एक कानून बनाने का निर्णय किया।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, जीवन बीमा निगम (समझौतों में संशोधन) विधेयक 1976 लोक सभा द्वारा 20 मई, 1976 को पारित किया गया था। यह विधेयक अब राज्य सभा में भेज दिया गया है और इस पर कल विचार किया जाना है। राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर यह कानून बन जायगा।

इस बीच जीवन बीमा निगम को सूचित किया गया था कि वे समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस की अदायगी न करें। इस पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने के लिये प्रार्थना की गई कि 24 जनवरी, 1974 का समझौता, जो जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के संघों के साथ किया था, विधि सम्मत है और जीवन बीमा निगम पर बाध्यकारी है और यह कि जीवन बीमा निगम को निदेश दिया जायें कि वह अपने श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों को समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस की अदायगी करे। उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 1975–76 का बोनस समझौते की शर्तों के अनुसार अदा किया जाना चाहिये।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

जीवन बीमा निगम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ के समक्ष अपील दायर कर दी है। जिसे ग्रहण कर लिया गया है। इस पर 1 जून, 1976 को अन्तिम रूप से सुनवाई होनी है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि चूंकि यह मामला इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के समक्ष है, इसलिये फैसले के सम्बन्ध में इस मामले में आगे कुछ भी कहना मेरे लिये उचित नहीं होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि मामला उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के समक्ष लम्बित है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने 21 मई को निर्णय दिया था कि कर्मचारियों को बोनस दिया जाये। मैं मानता हूं कि संसद् सर्वोच्च है पर मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय पहले दिया जा चुका है उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये या नहीं। क्या इस मामले को महान्यायवादी के पास नहीं भेजा जा सकता ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य स्वयं मानते हैं कि संसद् सर्वोच्च है फिर भी वे उच्च न्यायालय को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभा द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है। मेरे विचार से संसद् ही सर्वोच्च शक्ति है। मैं इस बारे में किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले--जारी

Matters Under Rule 377—*contd.*

बनौरा कोयला खान (आसनसोल) में तीन मजदूरों की कथित मृत्यु

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : आज सुबह जब मैं सदन में उपस्थित नहीं था तो श्री के० सी० हाल्दर ने भनौरा कोयला खान में हुई दुर्घटना का जिक्र किया था। यह सत्य है कि 20 मई, 1976 को सुबह लगभग 10 बजे छत गिर जाने के कारण हुई एक दुर्घटना में 3 आदमी मारे गये। उनमें एक खान सरदार भी था। खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा ईस्टर्न कोल फील्डस के अधिकारी इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उपर्युक्त जांच के परिणामों के आधार पर इस मामले में समुचित कार्यवाही की जाएगी।

कम्पनी द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को 500/– रु० अनुग्रहपूर्वक अनुदान और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत राशि भी उन्हें शीघ्र ही दे दी जायेगी।

सरकार और कोल कम्पनियां दोनों ही कोयला खानों में सुरक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने को उत्सुक हैं। खानों में सुरक्षित खुदाई को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कोयला कम्पनियों में प्रबन्ध निदेशकों के सीधे नियन्त्रण में आन्तरिक सुरक्षा संगठन बनाये गये हैं। ये खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रयासों में मदद करने के लिए हैं। आप को यह भी जानकारी है कि सरकार द्वारा गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति कोयला खानों में सुरक्षा के समूचे प्रश्न पर पहले ही विचार कर रही है जिसमें दो वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता भी शामिल हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned *Sine die*

GMGIPND—L—1082 LS—21-8-76—600

P.L.S. 48 LXII. 48. 76(N)
200

© 1976 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली, द्वारा मुद्रित ।

© 1976 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.